रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, फरवरी 5—फरवरी 11, 2012, शनिवार/माघ 16—माघ 22, 1933
No. 3] NEW DELHI, FEBRUARY 5—FEBRUARY 11, 2012, SATURDAY/MAGHA 16—MAGHA 22, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2012

का.नि.आ. 5.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियर सेवा, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1989 और 1986 को यथा संशोधित सैनिक इंजीनियर सेवा (मानचित्र वर्ग 2) पद भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उसका संबंध ज्येष्ठ मानचित्रक और मानचित्रक वर्ग I और सैनिक इंजीनियर सेवा पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सैनिक इंजीनियर सेवा में नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सैनिक इंजीनियर सेवा, नक्शानवीस पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नक्शानवीस	1349* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : मान्यताप्राप्त संस्था से वास्तुशिल्पीय सहायक का 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण । **वंछनीय** जिराक्स, मुद्रण और लेमिनेशन मशीन के आटो-कैड प्रचालन के कार्यकरण का एक वर्ष अनुभव । **टिप्पण-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	आयु : नही शैक्षिक अर्हताएं : स्तंभ 11 में उपदर्शित सीमा तक ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (सशस्त्र बलों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन) (iii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** 5200-20200 रु. वेतन बैंड-1 और 2400 रु. ग्रेड वेतन में ऐसा सहायक नक्शानवीस, जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा की है, जिसने इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा यथाविहित नक्शानवीस के पद के लिए सैन्य इंजीनियर सेवा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो और कम से कम एक सप्ताह के दौरान आटो कैड पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :- (क) जिन्होंने मूल काडर विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं रखता हो । **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:-** अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :-** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के, जहां पूर्व-पुनरीक्षित एक से अधिक वेतनमानों का

	(11)
	एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड या वेतनमान में विलयन हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य तत्स्थानी ग्रेड है । **सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन** नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और आनरेरी लेफ्टिनेंट/आनरेरी कैप्टन के रैंक के इंजीनियर कोर से सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं । यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ऐसे पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी । (सिविल पद के प्रतिनिर्देश अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति और पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिक की प्रोन्नति और पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिदेशक (कार्मिक), इंजीनियर-इन-चीफ की शाखा —अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो इंजीनियर-इन-चीफ की शाखा —सदस्य 3. ऐसा अधिकारी जो अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श तब आवश्यक है जब प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए चयन क्षेत्र में अन्य में से सशस्त्र बल कार्मिक हो ।

[फा. सं. पीसी-बी/75007/ड्राफ्टमैन/आर.आर./सी.एस.सी.सी/70 र(नि.)]

अँगना राम, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd February, 2012

S. R. O. 5.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in the supersession of the Military Engineer Services, Group 'C' posts Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Senior Draugtsman and Draugtsman Grade I and of the Military Engineer Services (Draugtsman Grade II) Recruitment Rules, 1986 and as amended in 1986 except as respect things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method the Recruitment to the post Draugtsman in the Military Engineer Service, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services, Draugtsman Recruitment Rules, 2012.

2. Number of post, classification pay band and grade pay scale of pay.—The number of the said post, their classification Pay band Grade pay and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band/ and Grade Pay and Pay scale	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Draughtsman	1349* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial,	PB-2, Rs. 9300–34800 Grade pay of Rs. 4200	Selection	Not exceeding 30 years **Note 1.** Relexable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)

Educational and other qualification required for direct recruitments	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : 1. Passed three years Diploma in Architectural Assistantship from a recognized Institute. **Desirable :** One year experience in working of Auto-Cad operation of Xeror, Printing and Lamination Machine. **Note :-** The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	**Age No Educational Qualification** To the extent as indicated in col-11	Two years for direct Recruits and two years for Re-employed Ex-servicemen

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
(i) 70 per cent by direct recruitment. (ii) 20 per cent by Deputation (for armed forces personnel deputation/Re-Employment) (iii) 10 per cent by promotion failing which by Direct Recruitment.	**Promotion :** Assistant Draughtsman in the scale of pay of Rs.5200—20200, with Grade Pay of Rs. 2400 in PB-1 with ten years of regular service in the grade who have a passed the Military Engineer Services departmental examination for the post of Draughtsman as prescribed by the Engineer-in-Chief and having done training on Auto-Cad of at least one week duration. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006. The date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Depuattion :** **Officers from Central Government:-** (A) holding analogous post on regular basis ir the Parent Cadre Department; and (b) possessing the educational qualification as proposed for direct recruits under col. 7.

(11)

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly; deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note:2 Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation Including Short Term Contral shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note:3 For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale in the normal replacement grade without any up gradation.

For Armed forces personnel (Deputation/Re- Employment)

Armed forces personnel from corps of Engineers of the rank Naiks, Hawaldars, Naib Subedars Subedars,Subedar Majors and Honorary Lieutenant / Honorary captains due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed under column 7 shall also be considered. If selected, such persons will be given deputation terms upto to the date on which they are due for release form the armed forces and thereafter they may be continued on re-employment basis. In case such eligible officers have retire or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil post).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation of Direct recruits and Re-Employed Ex-Servicemen) consisting of:— 1. Director General (Personnel), Engineer-in-Cheif's Branch —Chairman 2. Group 'A' Officer not below the rank of Superintending Engineer or equivalent, Engineer-in-Chief's Branch —Member	Consultation with UPSC necessary when an Armed Forces personnel among others is in the field of selection for deputation/re-employment.